

12/11/5

पक्षकारों एवं  
आदि के हस्ताक्षर

### XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 1547-पीबीआर/13

जिला - विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-4-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, लटेरी जिला विदिशा के द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/अ-27/12-13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08-3-13 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने अनावेदक का धारा 32 संहिता का आवेदन स्वीकार किया गया है ।</p> <p>2- प्रकरण में आवेदक को लिखित बहस पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।</p> <p>3- आवेदक द्वारा निगरानी मेमो में उठाए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण बटवारे का होकर इसमें विपक्षी ने अपील लंबित होने के आधार पर कार्यवाही रोकने की मांग की जिस पर तहसीलदार ने अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद यह पाया कि अभिलेख में अनावेदकों का नाम सहखाते में अंकित है तथा जो अपील है वह वर्तमान प्रकरण में विवादित अनावेदक की भूमि से संबंधित नहीं है और इससे उनके हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस कारण उन्होंने अनावेदक का आवेदन स्वीकार करते हुए कार्यवाही को जारी रखा है । प्रकरण की स्थिति को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह विधिसम्मत, उचित, न्यायिक तथा औचित्यपूर्ण होने से पुष्टि योग्य है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।</p> <p>4- उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो ।</p>	

  
सदस्य



C.F-9-413

9

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल मध्यप्रदेश  
प्रकरण क्रमांक

R 1547- PBRM13

कलूखां आयु 74 वर्ष पुत्र शाकूरखां जाति मुसलमान  
॥ मिंजारा ॥ निवासी वार्ड क्रमांक 5 लटेरी -  
तहसील लटेरी जिला विदिशा MD 90 -  
॥ याचिकाकर्ता ॥

पनाम

- 1- इदरीशाखां आयु 32 वर्ष
- 2- इरफानखां आयु 30 वर्ष
- 3- अरमानखां आयु 28 वर्ष
- 4- मुफरानखां आयु 26 वर्ष
- 5- कुखानखां आयु 24 वर्ष पुत्रगण शारीफखां  
जाति मुसलमान ॥ मिंजारा ॥ निवासी लटेरी  
तहसील लटेरी जिला विदिशा मध्यप्रदेश
- 6- शमीम वी आयु 55 वर्ष विधवा शारीफखां -  
जाति मुसलमान ॥ मिंजारा ॥ निवासी लटेरी  
तहसील लटेरी जिला विदिशा मध्यप्रदेश
- 7- नसरीन वी आयु 35 वर्ष पुत्री शारीफखां -  
पत्नी सईदखां जाति मुसलमान निवासी सुठालिया  
तहसील प्यावरा जिला राजगढ़ MD 90
- 8- हनीफ खां पुत्र सप्पूखां जाति मुसलमान निवासी  
नगर सिरोंज तहसील सिरोंज जिला विदिशा  
MD 90 ॥ वामोरा सिरोंज रोड कुस के सामने ॥
- 9- लतीफखां पुत्र सप्पूखां जाति मुसलमान निवासी  
ग्राम गरेठा तहसील सिरोंज जिला विदिशा


श्री दुर्गा सिंह ठाकुर  
अभिजाचक द्वारा  
आज दिनांक 8-4-13  
को भोपाल केम्प पर प्रस्तुत

6-4-13

9-  
13413

8  
7  
TO  
व  
जला,  
पर  
प्रायथी  
12  
के सन्तानेह  
उन्का  
जिस पर

8



// 2 //

- 10- सासुराधी पुत्री सक्खुआं पत्नी करीमखानां जाति मुसलमान -  
निवासी ग्राम गरेठा तहसील सिरोंज जिला विदिशा 40 प्र0
- 11- हाजरा वी पुत्री सक्खुआं पत्नी सत्तारखानां जाति मुसलमान -  
निवासी ग्राम सेमरखेडी तहसील सिरोंज जिला विदिशा 40 प्र0
- 12- जरीनां वी पत्नी शाफीखानां जाति मुसलमान निवासी ग्राम -  
महमूदा तहसील वासोदा जिला विदिशा 40 प्र0 § प्रत्यक्षी §  
न्यायालय तहसीलदार महोदय लटेरी के प्रकरण क्रमांक 19/अ-27  
12-13 व मामले इदरीशाखानां आदि वनाम कल्लुखानां आदि में -  
पारित आदेश दिनांक 08/05/013 के विस्थ 40 प्र0 भू0 रा0  
संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत यहिका

भागो  
आद का वि  
अधिनियम  
स्थान